भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
16.03.2016 **को लोक सभा में**
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 3210

परमाणु खनिजों की अवैध तस्करी

3210. **श्री धनंजय महाडीक :**
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:
श्री टी. राधाकृष्णन:
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या सरकार को पड़ोसी देशों को अवैध तस्करी से भेजने हेतु राजस्थान के कुछ लोगों से कई टन बैरिल बरामद किए जाने की जानकरी है, जिनका नाभिकीय रिएक्टरों में उपयोग किया जाता है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

(ख) **क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

(ग) **भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और**

(घ) **सरकार द्वारा देश से नाभिकीय आस्तियों के बाहर भेजे जाने के खतरे को रोकने और उससे निपटने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?**

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) **जी, हाँ। सरकार को, राजस्थान से खनिज के अवैध निर्यात में शामिल कुछ व्यक्तियों से हाल ही में, लगभग 31 टन बेरिल प्राप्त होने की जानकारी है।**

(ख) **जी, हाँ। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के एक संघटक यूनिट, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) को एक बेनामी पत्र के माध्यम से बेरिल के अवैध निर्यात की जानकारी प्राप्त हुई थी। तथ्यों की जांच करने एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा इसकी सूचना केन्द्रीय आसूचना एजेंसी (आईबी) को दी गई थी। केन्द्रीय एजेंसी द्वारा विधिवत सत्यापन के बाद, राजस्थान पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसने मामले के संबंध में बाद में अपराधिक आसूचना एकत्र करना आरंभ किया। क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्र, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, जयपुर की लिखित शिकायत पर पुलिस अधीक्षक, आतंक विरोधी दस्ता (एटीएस), राजस्थान पुलिस, जयपुर द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 14/24 एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण (पीडीपीपी) अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई गई। जांच के दौरान, राजस्थान पुलिस के आतंक विरोधी दस्ते ने छः आरोपियों को हिरासत में लिया। लोक अभियोजक ने, न्यायिक हिरासत में रखे गए इन छः आरोपियों के विरूद्ध जिला न्यायाधीश, जयपुर के न्यायालय में 27.02.2016 को आरोप पत्र दाखिल किया।**

(ग) बेरिल, परमाणु ऊर्जा (एई) अधिनियम, 1962 (श्रेणी 0ए 304) की धारा 2 (1) (जी) एवं धारा 3 के तहत डीएई द्वारा दिनांक 18.01.2006 की अधिसूचना सं एस.ओ. 61 (ई) के तहत अधिसूचित एक "विहित पदार्थ" (पीएस) है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) में, बेरिल को पहली अनुसूची के भाग ख में "परमाणु खनिज" के रूप में सूचीबद्ध किया गया। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 एवं एमएमडीआर अधिनियम, 1957 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों में विहित पदार्थों (पीएस) एवं "परमाणु खनिजों" के खनन, पेषण, संसाधन तथा /या प्रहस्तन के संबंध में सुरक्षोपाय अन्तर्निहित हैं। इसके अतिरिक्त, बेरिल (श्रेणी 0ए 304-स्कोमैट सूची) पर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्देशित निर्यात नियंत्रण विनियमन एवं विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) [एफटीडीआर] अधिनियम एवं उसके तहत जारी आदेश लागू हैं। केन्द्र सरकार ने, दिनांक 15.12.2015 की राजपत्र अधिसूचना ए.ओ. 428 (ई) के अंतर्गत, परमाणु ऊर्जा (खान, खनिज कार्यकरण तथा विहित पदार्थ उठाई-धराई) नियम, 1984 के प्रयोजन के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 8 के अधीन, प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्तियों का उपयोग करने के लिए निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) अथवा निदेशालय के ऐसे अन्य अधिकारियों को जिन्हें निदेशक, परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत किया गया हो, को प्राधिकृत किया।

(घ) मौजूदा अधिनियम एवं नियम, नाभिकीय सामग्री को देश से बाहर ले जाने से रोकने और उससे निपटने के लिए पर्याप्त हैं।

******